



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

27th November 2024

F. No. LB/99/7/2021-INST LAB-HO-CPCB-HO/Pvt./1690

Recognition Letter

To,
The Head of Laboratory,
M/s Hyderabad Waste Management Project Laboratory
(A Division of Re Sustainability Limited),
Survey No. 684/1, Dundigal Village,
Dundigal Gandimaisamma Mandal, Medchal-500043,
Telangana.

Subject: Recognition of M/s Hyderabad Waste Management Project Laboratory (A Division of Re Sustainability Limited), Survey No. 684/1, Dundigal Village, Dundigal Gandimaisamma Mandal, Medchal-500043, Telangana as Environmental laboratory under the Environmental (Protection) Act- 1986- reg.

Sir,

With reference to your application dated 22/07/2024 along with acceptance of the terms & conditions of the guidelines for recognition of environmental laboratories under the Environmental (Protection) Act, 1986, submitted to Central Pollution Control Board (CPCB), the Competent Authority of CPCB has accorded approval for renewal of recognition of Environmental laboratory and Govt. Analysts. Subsequently, **M/s Hyderabad Waste Management Project Laboratory (A Division of Re Sustainability Limited), Survey No. 684/1, Dundigal Village, Dundigal Gandimaisamma Mandal, Medchal-500043, Telangana** shall be notified considering the current requirement of mandatory accreditation / certifications of the laboratory **with a validity up to 21/11/2027 (for three years), subject to validity of ISO/IEC 17025 and IS/ISO 45001.**

2. The following analysts have been approved as Government Analysts:

1. Ms. Swathi Yanam
2. Sh. Ravi Kumar Kadari
3. Smt. A. Neeraja

3. The laboratory should compulsorily follow the accepted terms and conditions and may undertake the following tests:

- a) **Physical Tests:** Conductivity, Colour, pH, Fixed & Volatile Solids, Total Solids, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Turbidity, Temperature, Velocity & Discharge Measurement of Industrial Effluent Stream, Flocculation Test (Jar Test), Odour, Salinity, Settleable Solids and Sludge Volume Index(SVI).
- b) **Inorganic (General and Non-metallic):** Acidity, Alkalinity, Ammonical Nitrogen, Chloride, Chlorine Residual, Dissolved Oxygen, Fluoride, Total Hardness, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Nitrite Nitrogen, Nitrate Nitrogen, Phosphate, Sulphate, Bromide, Carbon Dioxide, Chlorine Demand, Cyanide, Iodine, Silica, Sulphide and Sulphite.
- c) **Inorganic (Trace Metals):** Boron, Cadmium, Calcium, Total Chromium, Chromium Hexavalent, Copper, Iron, Lead, Magnesium, Mercury, Nickel, Potassium, Sodium, Sodium Absorption Ratio(SAR), Zinc, Arsenic, Aluminium, Antimony, Barium, Beryllium, Manganese, Selenium, Silver, Strontium, Tin and Vanadium.
- d) **Organics (General) and Trace Organics:** Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Oil and Grease, Phenolic Compounds, Pesticides (each) (Organo-Chlorine and Organo Nitrogen-Phosphorus), Carbon/Nitrogen Ratio, Organic Carbon(in Solid), Poly-Chlorinated Biphenyl (PCB's) each, Polynuclear Aromatic Hydrocarbon (PAH) and Surfactants.
- e) **Microbiological Test:** Total Coliform, Faecal Coliform, *E. coli*, Faecal Streptococci and Total Plate Count.
- f) **Toxicological Tests:** Bioassay Method for Evaluation of Toxicity Using Fish (90% survival of fish after 96 hrs in 100% effluent) and Measurement of toxicity factor using Zebra fish (dimensionless toxicity test).

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

contd.

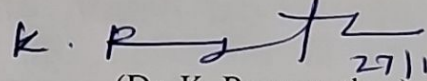
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi - 110032

दूरभाष/Tel: 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website : www.cpbc.nic.in

- g) **Characterization of Hazardous Waste:** Preparation of Leachate (TCLP Extract/Water Extract), Ignibility (Flash Point), Toxicity and Measurement of Heavy Metals/Pesticides in the Waste/Leachate.
- h) **Soil/Sludge/Sediment and Solid Waste:** Boron, Cation Exchange Capacity (CEC), Electrical Conductivity, Nitrogen (Available), Organic Carbon/Matter (Chemical Method), pH, Phosphorous (Available), Phosphate (Ortho), Phosphate (Total), Potassium, SAR in Soil Extract, Sodium, Soil Moisture, TKN, Calorific Value, Ammonia, Bicarbonate, Calcium, Chloride, Colour, Exchangeable Sodium Percentage (ESP), Mechanical Soil Analysis, Nitrate, Nitrite, PAH, Pesticide, Sulphate, Sulphur, Total Water Soluble Salt and Water Holding Capacity.
- i) **Ambient Air/ Fugitive Emissions:** Nitrogen Dioxide (NO₂), Sulphur Dioxide (SO₂), Total Suspended Particulate Matter, Respirable Suspended Particulate Matter (PM₁₀), Ammonia, Carbon monoxide, Chlorine, Fluoride, Non Methane Hydrocarbon, Lead, Methane, Ozone, Benzene Toluene Xylene (BTX), Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Benzo-a-Pyrene & others, PM_{2.5} and Volatile Organic Carbon.
- j) **Stack Gases/ Source Emission:** Particulate Matter, Sulphur Dioxide, Velocity & Flow, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Temperature, Oxygen, Oxides of Nitrogen, Acid Mist, Ammonia, Chlorine, Fluoride (Particulate), Fluoride (Gaseous), Hydrochloric Acid, Total Hydrocarbon, Carbon Disulphide and Mercaptan.
- k) **Noise Level:** Noise level measurement (20 to 140 dba) and Ambient Noise & Source Specific Noise.
- l) **Meteorological:** Ambient Temperature, Wind Direction, Wind Speed, Relative Humidity, Solar Radiation and Rain Fall.
- m) **Vehicular Emission Monitoring:** Carbon monoxide, Smoke Density, Hydrocarbon and Oxides of Nitrogen

4. The laboratory shall compulsorily participate in the Analytical Quality Control (AQC) Exercise conducted by the CPCB to ascertain the capability of the laboratory and analysts. The lab shall submit quarterly progress report on the sample analysis carried out to CPCB.
5. The surprise inspection / periodic surveillance of the recognized environment laboratory will be undertaken to assess its proper functioning systematic operation and reliability of data generated at the laboratory by a Joint Team as per the Notification.
6. The laboratory should have the mandatory requisite accreditation and certificate of the ISO: 17025 and ISO:45001 as per rules. This recognition is subject to such accreditations and renewals as applicable and in case of serious non-compliance of any of the terms and conditions, the laboratory may be black listed for a minimum period of two years and civil/criminal proceedings, as applicable, may be initiated for performing functions on behalf of the Government in an unauthorized manner.
7. **M/s Hyderabad Waste Management Project Laboratory (A Division of Re Sustainability Limited), Medchal, Telangana** is required to apply for further renewal of recognition through online using CPCB web portal (<https://cpcbepalab.in/epalab>) before expiry of recognition with mandatory accreditation / certification concerned.

Yours faithfully,


(Dr. K. Ranganathan)

Scientist-E & Divisional Head
Instrumentation laboratory

डॉ. के. रंगनाथन / Dr. K. Ranganathan
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
प्रभारी जल एवं उपकरणों प्रयोगशाला
Div. Head-Water & Instrumentation Laboratory
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
(Min. Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

फा.सं.एलबी-2021/7/99/इंस्टलैब-एचओ-सीपीसीबी-एचओ /प्राइवे 1690
मान्यता पत्र

सेवा में,

प्रयोगशाला प्रमुख,
मैसर्स हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लैबोरेटरी
(ए डिविजन ऑफ री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड),
सर्वे संख्या 684/1, डुंडीगल गांव,
डुंडीगल गांधीमैसम्मा मंडल, मेडचल-500043,
तेलंगाना।

विषय: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मैसर्स हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लैबोरेटरी (ए डिविजन ऑफ री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड), सर्वे संख्या 684/1, डुंडीगल गांव, डुंडीगल गांधीमैसम्मा मंडल, मेडचल-500043, तेलंगाना की मान्यता के बारे में।

महोदय,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बोर्ड) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के साथ आपके दिनांक 22/07/2024 के प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में, के.प्र.नि.बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने पर्यावरण प्रयोगशाला और सरकार के विश्लेषक की मान्यता के नवीनीकरण को अनुमोदन प्रदान किया है। तत्पश्चात, मैसर्स हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लैबोरेटरी (ए डिविजन ऑफ री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड), सर्वे संख्या 684/1, डुंडीगल गांव, डुंडीगल गांधीमैसम्मा मंडल, मेडचल-500043, तेलंगाना को भारत की राजपत्र अधिसूचना में प्रयोगशाला की अनिवार्य प्रत्यायन/प्रमाणन की वर्तमान अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21/11/2027 (तीन साल) तक आईएसओ/ आईईसी 17025 और आईएस/आईएसओ 45001 की वैधता के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

2. निम्नलिखित विश्लेषकों को सरकारी विश्लेषक के रूप में अनुमोदित किया गया है:

1. सुश्री स्वाति यानम
2. श्री रवि कुमार कदारी
3. श्रीमती ए. नीरजा

3. प्रयोगशाला अनिवार्य रूप से स्वीकृत निबंधन और शर्तों का पालन करते हुए निम्नलिखित परीक्षणों करेगी:

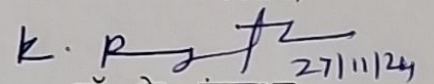
- क. **भौतिक परीक्षण:** चालकता, रंग, पीएच, स्थिर और वाष्पशील ठोस, कुल ठोस, कुल विलीन ठोस, कुल निलंबित ठोस, आविलता, तापमान, वेग एवं निर्वहन औद्योगिक बहिःसाव धारा का विसर्जन मापन, फ्लोक्व्यूलेशन टेस्ट (जार टेस्ट), गंध, लवणता, निपटान योग्य ठोस और आपंक वॉल्यूम इंडेक्स (एसवीआई)।
- ख. **अकार्बनिक (सामान्य और गैर-धात्विक):** अम्लता, क्षारीयता, अमोनिकल नाइट्रोजन, क्लोराइड, क्लोरीन अवशिष्ट, विलीन ऑक्सीजन, फ्लोराइड, कुल कठोरता, कुल केजेल्डहल नाइट्रोजन (टीकेएन), नाइट्राइट नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फेट, ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डिमांड, साइनाइड, आयोडीन, सिलिका, सल्फाइड और सल्फाइट।
- ग. **अकार्बनिक (सूक्ष्म मात्रिक धातु):** बोरॉन, कैडमियम, कैल्शियम, टोटल क्रोमियम, क्रोमियम हेक्सावैलेंट, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, पारा, निकल, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम अवशोषण अनुपात (एसएआर), जिंक, आर्सेनिक, एल्युमीनियम, एंटीमनी, बेरियम, बेरिलियम, मैंगनीज, सेलेनियम, सिल्वर, स्ट्रोंटियम, टिन और वैनेडियम।
- घ. **ऑर्गेनिक (सामान्य) और ट्रेस ऑर्गेनिक्स:** बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी), तेल और ग्रीस, फेनोलिक यौगिक, कीटनाशक (प्रत्येक) (ऑर्गेनो-क्लोरीन और ऑर्गेनो नाइट्रोजन-फॉस्फोरस), कार्बन/नाइट्रोजन अनुपात, ऑर्गेनिक कार्बन (ठोस में), पॉली-क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल (पीसीबी) (प्रत्येक), पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) और सर्फैक्टेंट।
- ङ. **सूक्ष्म जीवविज्ञान परीक्षण:** टोटल कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म, ई. कोली, फीकल स्ट्रेप्टोकोक्की और टोटल प्लेट काउंट।
- च. **आविष विज्ञानी परीक्षण:** मछली का उपयोग करके विषाक्तता के मूल्यांकन के लिए जैव परख विधि (100% प्रवाह में 96 घंटे के बाद मछली का 90% जीवित रहना) और ज़ेबरा मछली (आयाम रहित विषाक्तता परीक्षण) का उपयोग करके विषाक्तता कारक का मापन।

जारी.



- छ. परिसंकटमय अपशिष्ट का लक्षण वर्णन: निक्षालक (टीसीएलपी अर्क/जल अर्क) तैयार करना, ज्वलनशीलता (फ्लैश प्वाइंट), विषाक्तता और अपशिष्ट & निक्षालक में भारी धातुओं/पीड़कनाशियों का मापन।
- ज. मृदा/आपंक/तलछट और ठोस अपशिष्ट: बोरॉन, कटियन एक्सचेंज क्षमता (सीईसी), विद्युत चालकता, नाइट्रोजन (उपलब्ध), कार्बनिक कार्बन/पदार्थ (रासायनिक विधि), पीएच, फास्फोरस (उपलब्ध), फॉस्फेट (ऑर्थो), फॉस्फेट (कुल), पोटेशियम, मृदा के अर्क में एसएआर, सोडियम, मृदा की नमी, टीकेएन, कैलोरी मान, अमोनिया, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, क्लोराइड, रंग, विनिमेय सोडियम प्रतिशत (ईएसपी), यांत्रिक मृदा विश्लेषण, नाइट्रेट, नाइट्राइट, पीएच, कीटनाशक, सल्फेट, सल्फर, कुल पानी में घुलनशील नमक और जल धारण क्षमता।
- झ. परिवेशी वायु/पलायक उत्सर्जन: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂), सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂), कुल निलंबित विविक्त कण, श्वसन योग्य निलंबित कण पदार्थ (पीएम₁₀), अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोराइड, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, सीसा, मीथेन, ओजोन, बेंजीन टोल्यूनि ज़ाइलीन (बीटीएक्स), पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएच) बेंजो-ए-पाइरिन और अन्य, पीएम_{2.5} और वाष्पशील कार्बनिक कार्बन।
- ञ. चिमनी गैसें/स्रोत उत्सर्जन: पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, वेग और प्रवाह, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तापमान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एसिड धुंध, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोराइड (पार्टिकुलेट), फ्लोराइड (गैसीय), हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुल हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड और मर्कैप्टन।
- ट. रव (शोर) स्तर: शोर स्तर माप (20 से 140 डीबीए) और परिवेश रव & स्रोत विशिष्ट रव।
- ठ. मौसम संबंधी: परिवेश का तापमान, हवा की दिशा, हवा की गति, सापेक्ष आर्द्रता, सौर विकिरण और वर्षा।
- ड. वाहन उत्सर्जन निगरानी: कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं घनत्व, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
4. प्रयोगशाला और विश्लेषकों की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला को के.प्र.नि.बोर्ड द्वारा आयोजित विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण एक्ज्यूसी (अभ्यास में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। प्रयोगशाला किए गए नमूना विश्लेषण पर के.प्र.नि.बोर्ड को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
5. अधिसूचना के अनुसार, एक संयुक्त दल द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण/आवधिक निगरानी उस के उचित कामकाज, व्यवस्थित प्रचालन और प्रयोगशाला में तैयार किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए की जाएगी।
6. प्रयोगशाला के पास नियमानुसार ISO/IEC: 17025)2017(और IS/ ISO: 45001 का अपेक्षित प्रत्यायन और प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह मान्यता यथा लागू प्रत्यायन और नवीनीकरण के अधीन है और किसी भी निबंधन और शर्तों के गंभीर गैर-अनुपालन के मामले में, प्रयोगशाला को न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और सरकार की ओर से अनधिकृत तरीके से कार्य करने के लिए, यथा लागू सिविल/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
7. मैसर्स हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लैबोरेटरी (ए डिविजन ऑफ री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड), मेडचल, तेलंगाना को संबंधित अनिवार्य प्रत्यायन/प्रमाणीकरण के साथ मान्यता की समाप्ति से पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबपोर्टल (<https://cpcebopalab.in/epalab>) का उपयोग कर के ऑनलाइन मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

भवदीय,

 27/11/24

(डॉ. के. रंगनाथन)

वैज्ञानिक-ई एवं प्रभागप्रमुख
उपकरणीय प्रयोगशाला

डॉ. के. रंगनाथन / Dr. K. Ranganathan
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
प्रभाषी जल एवं उपकरणीय प्रयोगशाला
Div. Head-Water & Instrumentation Laboratory
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
(Min. Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032